REGD. NO. D. L.-33004/98

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 1999/माघ 13, 1920
No. 52] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 1999/MAGHA 13, 1920

भारतीय जीवन बीमा निगम

अधिसूचना

मुम्बई, 15 दिसम्बर, 1998

भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) विनियम, 1998

का.आ. 53 (अ).—जीवन बीमा अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय जीवन बीमा निगम निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

1 इन विनियमों का नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) विनियम, 1998 है।

2. ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) **परिभाषाएं**

1. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अभिकर्ता' से भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 के अंतर्गत अभिकर्ता के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकर्ता नियम' से भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 अभिप्रेत है,

(ग) 'प्रशिक्षु विकास अधिकारी' से उस व्यक्ति का अभिप्रेत जो इन विनियमों के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु भर्ती किया गया और तदन्तर विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है,

(घ) 'निगम' से भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है,

(च) 'विकास अधिकारी' से निगम के श्रेणी-II के पूर्णकालीन वैतनिक कर्मचारी अभिप्रेत है,

(छ) कर्मचारी से निगम का स्थाई पूर्णकालीन वैतनिक कर्मचारी तृतीय श्रेणी अभिप्रेत है,

(ञ) 'कर्मचारी प्रशिक्षु' से इन विनियमो के अंतर्गत प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप मे भर्ती निगम का कर्मचारी अभिप्रेत है,

(झ) 'पूर्वपद' प्रशिक्षु कर्मचारी के संबध मे, प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप मे भर्ती होने के ठीक पहले उसके द्वारा श्रेणी-III मे धारित पद अभिप्रेत है,

(ट) 'भर्ती करनेवाला प्राधिकारी' से मण्डल कार्यालय के प्रभारी वरिष्ठ/मण्डल प्रबन्धक अभिप्रेत है,

(ठ) 'कर्मचारीवृंद नियम' से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 अभिप्रेत है,

(2) इसमे प्रयुक्त सभी शब्द और वाक्यांश और अपरिभाषित परंतु या तो अभिकर्ता नियम या कर्मचारीवृंद नियम मे परिभाषित है, का अर्थ उन नियमों या विनियमों में उनके लिए क्रमश: निर्दिष्ट शब्द और वाक्यांश होगें।

(3) <u>रिक्तियाँ</u> :

भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या केवल विकास अधिकारी के लिए स्वीकृत पदों के लिए होगी।

(4) <u>पात्रता की शर्ते</u> :

(क) प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप मे भर्ती हेतु आवेदक के पास भारत के किसी नियमाधीन स्थापित विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय जो इस उद्देश्य से अनुमोदित किये गये है की स्नातक उपाधि या भारतीय बीमा संस्थान, मुम्बई की फेलोशिप होनी चाहिए।

(ख) प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप मे भर्ती हेतु आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम या 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
परंतु तालिका-1 के कालम (2) मे विनिर्दिष्ट आवेदकों के बारे मे उच्चतर आयु सीमा उसी तालिका के कालम (3) मे विनिर्दिष्ट के अनुरुप होगी।

तालिका-1

क्र.स.	श्रेणी	आयु सीमा वर्ष
(1)	(2)	(3)
(1)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाती के सदस्य	35
(2)	अन्य पिछडे वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा) के सदस्य	33
(3)	कर्मचारी जो अ.जा.या अ.ज.जा.या अन्य पिछडे वर्ग के सदस्य नही	42
(4)	कर्मचारी जो अ.पि.व.का.(सम्पन्न वर्ग के अलावा) का सदस्य हो	45
(5)	कर्मचारी जो अ.जा.या अ.ज.जा. के सदस्य हो	47
(6)	(अभिकर्ता) जो अ.जा.या अ.ज.जा.या अ.पि.व.का सदस्य नही	37
(7)	(अभिकर्ता) जो अ.पि.व.का (सम्पन्न वर्ग के अलावा) सदस्य हो	40
(8)	(अभिकर्ता) जो अ.जा.या अ.ज.जा.का सदस्य हो	42
(9)	भूतपूर्व सैनिक	30 एवं सशस्त्र सेना मे की गई सेवा वर्षो की संख्या, अधिकतम आयु 45 वर्ष यदि वह अ.पि.व.का है और 47 वर्ष यदि वह अ.जा.या अ.ज.जा.का है और अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. के अलावा अन्य वर्ग का है तो अधिकतम 42 वर्ष

नोट : उपरोक्त कालम 3 मे दर्शाई गई अधिकतम आयु सीमा में, तालिका-1 के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आवेदको के बारे मे तथा उप-विनियम 4(ख) के अंतर्गत व्यक्तिगत मामलो में प्रबन्ध निदेशक छूट प्रदान कर सकते है।

(1) प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप मे भर्ती हेतु आवेदन अधिसूचना मे उल्लिखित कट-आफ तारीख को पूर्ण वर्ष के अनुसार आवेदक की आयु सीमा की गणना की जाएगी।

(2) कर्मचारियो मे से तथा बाहर से भर्ती किए जानेवाले प्रशिक्षु विकास अधिकारीयो के प्रत्येक के लिए 25% के अधिक नही होगी तथा अभिकर्ताओं के मामले मे किसी भी एक समय भर्ती

किए जानेवाले प्रशिक्षु विकास अधिकारीयों की कुल संख्या से 50% से अधिक नही होगी। तथापि, यदि आवेदकों की पर्याप्त संख्या एक वर्ग के लिए आरक्षित कुल रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नही होती तो इन रिक्तियों को अन्य वर्ग के अभ्यर्थियो मे से भरा जाएगा।

(ग) प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप मे भर्ती हेतु आवेदक को अधिसूचना मे उल्लिखित तारीख को तालिका-II मे विनिर्दिष्ट प्रकृति एव अवधि का अनुभव होना चाहिए।

तालिका-II

क्र.स.	वर्ग	अनुभव	
		शहरी क्षेत्र मे भर्ती हेतु	ग्रामीण क्षेत्र मे भर्ती हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	कर्मचारी	श्रेणी-III के पद मे स्थाई होने के बाद 3 वर्षो से कम सेवा नही	श्रेणी-III के पद मे स्थाई होने के बाद 3 वर्षो से कम सेवा नही
(2)	अभिकर्ता	अभिकर्ता के रुप मे 5 वर्ष से कम नही और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय कम से कम रु.135000/- तुंरत पिछले 5 अभिकरण वर्ष के दौरान और कुल प्रथम वर्ष प्रीमियम आय कम से कम रु. 22000/-, 20 जीवनो पर प्रत्येक वर्ष इन्ही 5 अभिकरण वर्षो मे से किन्ही 3 अभिकरण वर्षो मे।	अभिकर्ता के रुप मे 4 वर्ष से कम नही और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय रु.22000/-, 20 जीवनो पर तुंरत पिछले 4 अभिकरण वर्षो मे से किन्ही 3 वर्षो मे।
(3)	अन्य	किसी प्रतिष्ठित संगठन में कम से कम 2 वर्षो तस विक्री	विक्री का अनुभव अपेक्षित हैं

नोट :

(1) शुध्द प्रथम वर्ष प्रीमियम से अभिप्रेत है अभिकर्ता द्वारा तत्काल सुसंगत पूर्व अभिकरण वर्षो की संख्या के अंतर्गत लाया गया प्रीमियम नकद या चेक के द्वारा चेक के संबंध में जो बाद में अनादृत नहीं हुआ हो, जो नये व्यवसाय हेतु सहित प्रथम वर्ष नवीकरण प्रीमियम लाया गया है जिसमे से कालातीत हुई प्रीमियम राशि से घटाई गई है ऐसे प्रथम वर्ष प्रीमियम जिसे प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप में भरती हेतु आवेदन की तारीख के संदर्भ से संगणित की गई हो।

(क) ग्रामीण क्षेत्र से (अभिप्रेत है) 30,000 की जनसंख्या या उससे कम का क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के लिए एक लाख की जनसंख्यावाला क्षेत्र ।

(ख) शहरी क्षेत्र से (अभिप्रेत है) वह क्षेत्र जो ग्रामीण नही है ।

(3) तालिका-II के क्रम संख्या 3 के सामने कालम 3 मे प्रविष्टि के संदर्भ मे जहाँ कोई प्रश्न हो कि क्या कोई संगठन प्रतिष्ठित संगठन है या नही, तो इसके लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक का निर्णय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण :
संदेहों के निराकरण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिकर्ता पति-पत्नी प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप में भर्ती होने के लिए पात्र नही होंगे ।

(5) चयन विधि :

(1) प्रशिक्षु विकास अधिकारी की भर्ती हेतु चयन क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा, जिस क्षेत्र में मण्डल कार्यालय स्थित है वहा के व्यापक प्रसारवाले कम से कम दो अखबारो में अधिसूचना के द्वारा आंमत्रित आवेदनों के जरिए किया जाएगा ।

(2) पात्र अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा मे बैठना होगा और उसमे सफल घोषित होने के बाद साक्षात्कार के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा इस हेतु गठित समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा जिसके सदस्य एक अधिकारी जो मण्डल प्रबन्धक के स्तर से नीचे का नही होगा एव दो अधिकारी जो सहायक मण्डल प्रबन्धक के स्तर से नीचे के नही होगें। क्षेत्रीय प्रबन्धक को अभ्यर्थियो के लिखित परीक्षा मे सफल करार देने हेतु न्यूनतम अंको के निर्धारण के मामले मे एवं साक्षात्कार के लिए बुलाने जाने के लिए अभ्यर्थियो के संख्या के निर्धारण के मामले मे संपूर्ण विवेकाधिकार होगा । अभ्यर्थियो को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मे उनके कुल प्राप्तांक के क्रम मे रखा जाएगा और चयन उनकी योग्यता के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा और यह भर्ती किए जानेवाले प्रस्तावित प्रशिक्षु विकास अधिकारीयों की संख्या के आधार पर होगा ।

जब क्षेत्रीय प्रबन्धक साक्षात्कार समिति द्वारा किसी अभ्यर्थी का मूल्यांकन नही स्वीकार करते तो वह अपनी ऐसी अस्वीकृति का कारण बताएगें और तत्पश्चात अभ्यर्थी का साक्षात्कार स्वंय लेकर ऐसा आदेश जो वह उचित समझे जारी करेगें ।

(6) स्वास्थ्य परीक्षा :

कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षु विकास अधिकारी के तौर पर तब तक नियुक्त नही किया जा सकता जब तक निगम द्वारा मान्य योग्य चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित नही किया जाता कि वह स्वास्थ्य के तौर पर प्रशिक्षण के लिए और नियुक्ति के बाद परिवीक्षा पर विकास अधिकारी के तौर पर कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं।

(7) भर्ती :

प्रशिक्षु विकास अधिकारीयो की नियुक्ति मण्डलों के प्रभारी वरिष्ठ/मण्डल प्रबन्धक द्वारा की जाएगी।

(8) प्रशिक्षण :

(1) प्रशिक्षुता अवधि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तारीख से प्रारंभ होगा।

(2) प्रशिक्षु विकास अधिकारी को सैध्दांतिक और क्षेत्र विक्रय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और ऐसी अवधि प्रबन्धक निदेशक द्वारा निश्चित की जाएगी, तथापी प्रशिक्षण अवधि नौ महीने से ज्यादा की नही होगी।

(3) अपवादात्मक मामलों में जब प्रशिक्षु विकास अधिकारी प्रशिक्षुता अवधि के दौरान किसी भी कारण से, जो उसके नियंत्रण से परे है, अनुपस्थित रहता है जैसे कि दुर्घटना या दीर्घकालिक अस्पताल में भर्ती, जो उसकी 30 दिनों से अधिक अनुपस्थिति को औचित्यपूर्ण बनाए, तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रत्येक मामले में की जाएगी और जहां ऐसा आदेश जारी करेगे कि प्रशिक्षुता अवधि और आगे २ महिने तक बढाई जा सकती है जबकि वे संतुष्ट हो जाएगे कि मामलो मे चिकित्सा आवश्यक हैं एंव पजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि प्रशिक्षु विकास अधिकारी अब मानसिक और शारीरिक तौर पर कार्य के लिए स्वस्थ हैं।

(4) प्रशिक्षु विकास अधिकारी को कर्मचारी प्रशिक्षु के अलावा, प्रशिक्षुता प्रारम्भ होने की तारीख से विकास अधिकारीयो के लिए लागू वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन तथा मँहगाई भत्ता के बराबर वृत्तिका दी जाएगी।

बशर्ते, उपविनियम (3) के प्रावधानों के शर्त पर प्रशिक्षु विकास अधिकारी जिसके अंतर्गत उसे प्रशिक्षण हेतु रखा गया है, उस प्राधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो वह कोई भी वृत्तिका पाने का हकदार नही होगा और उसकी प्रशिक्षुता समाप्त की जा सकती हैं।

(5) उपविनियन (3) के प्रावधानो और उपविनियम (4) के परतुक के बिना पूर्वाग्रह, किसी प्रशिक्षु विकास अधिकारी की प्रशिक्षुता इस आधार समाप्त की जा सकती है, कि उसके बारे में उस अधिकारी की जिसके तहत वह प्रशिक्षण के लिए रखा गया इस आशय की रिपोर्ट और भर्ती प्रधिकारी के संतुष्ट हो जाने पर कि प्रशिक्षु विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण ठीक तरह से नहीं लिया हैं या उसका आचरण असंतोषजनक हैं या वह अन्य तरीके से आगे प्रशिक्षण के लिए अनुपयुक्त हैं।

(9) <u>परिवीक्षा पर नियुक्ति</u> :

प्रशिक्षु विकास अधिकारी जो इन नियमों के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षुता पूर्ण करता है और, भर्ती प्राधिकारी के विचार में निगम की सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं तो वह विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता हैं और उसे परिवीक्षा पर रखा जाएगा। प्रशिक्षु विकास अधिकारी की निगम की सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता की जाँच ऐसी परीक्षा द्वारा की जाएगी जैसी उसके लिए निर्धारित की जाए।

कार्यकारी निदेशक (विपणन) व्यक्तिगत मामलों में, प्रशिक्षु विकास अधिकारीयों का कारण रिकार्ड करने के बाद विकास अधिकारीयों का परिवीक्षा पूर्व परीक्षा में दुबारा बैठने की अनुमति देंगे।

<u>स्पष्टीकरण</u> :

संदेहो के निराकरण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य प्रावधानों को छोड कर प्रशिक्षु विकास अधिकारी की 'सेवा' इन नियमों के तहत उस कार्य दिवस से प्रारम्भ मानी जाएगी जिस दिन वह विनियम (9) के अनुसार उस स्थान और समय पर कार्य हेतु उपस्थित होगा और जिसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे दी जाएगी जैसा कि (कर्मचारी वृंद) नियम मे विनिर्दिष्ट हैं, बशर्त वह दोपहर के पहले रिपोर्ट करें अन्यथा उसकी सेवा आगामी दिन से प्रारंभ मानी जाएगी।

(10) कर्मचारी प्रशिक्षु से संबधित विशेष प्रावधान :

कर्मचारी प्रशिक्षु के संबध मे, इन नियमों के अंतर्गत उनके लिए प्रावधान किया गया प्रशिक्षण की अवधि उनके पूर्ववर्ती पद के सेवा के निबंधक एव शर्तो के अपवर्जन के बाद होंगे ।

बशर्ते कि -

(1) वह (कर्मचारी) विनियमो के अध्याय III द्वारा नियंत्रित होता रहेगा,

(2) शिक्षुता की अवधि के दौरान देय वृत्ति उसके पूर्ववर्ती पद पर देय वेतन और भत्तों के रुप से मिलने वाली उस राशि के समान होगी यदि वह पूर्ववर्ती पद पर कार्य करता रहता ।

(3) भविष्य निर्वाह निधि के निगम के अशदानो से संबधित किसी नियम के उपबन्धो मे बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, कर्मचारी प्रशिक्षु अपने पूर्ववर्ती पद पर जितना अंशदान भविष्य निर्वाह निधि मे देता था उसके समान अंशदान देगा ।

(4) पूर्ववर्ती पद पर रहते हुए निगम की अवधि बीमा योजना द्वारा वह जिस तरह एंव जिस विस्तार तक संरक्षित था वैसा ही वह अब भी संरक्षित रहेगा ।

(5) उसकी शिक्षुता की अवधि, शिक्षुता अवधि के दौरान उसकी मृत्यु या पदत्याग की स्थिति में, देय ग्रेच्युटी हेतु गणना मे ली जायेगी ।

(6) विनियम 9 के अंतर्गत विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के बाद वह अपने पूर्ववर्ती पद पर अर्जित अस्वस्थ एंव अर्जित अवकाश का हकदार होगा ।

(7) उसका अपने पूर्ववर्ती पद पर धारणाधिकार होगा जो विकास अधिकारी के पद पर उसकी पुष्टि हो जाने पर समाप्त होगा ।

उपविनियम (4) के उपबन्ध या विनियम 8 के उपनियम के अंतर्गत उसकी प्रशिक्षुता समाप्त होने की स्थिति में उसका पूर्व पद पर प्रत्यावर्तन किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :

प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रुप में भर्ती कर्मचारी के प्रशिक्षुता पर रखे जाने के बावजूद उसकी सेवा भंग नहीं मानी जायेगी किन्तु प्रशिक्षुता की अवधि "कर्मचारीवृंद" नियमों या अन्य किन्ही नियमो के अंतर्गत सेवा में नही गिनी जाएगी, केवल केवल इन विनियमो के अंतर्गत प्रावधान ही उसका अपवाद होगा ।

आरक्षण :

प्रशिक्षु विकास अधिकारी की भर्ती करते समय भर्ती प्रधिकारी को अनुसूचित जातियो एंव अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा । यह प्रावधान निगम की सेवा में नियुक्तिया करते समय जिस पध्दति का अनुसरंण करते है तथा जिस विस्तार तक करते है, उसी के अनुरुप होगा ।

व्याख्या :

अध्यक्ष द्वारा इन विनियमो को प्रभावी करने के लिए एवं इसके प्रवधानों का पालन करने के लिए समय समय पर जैसा आवश्यक हो अनुदेश जारी कर सकते है । यदि इन विनियमों के किसी उपबन्धो की व्याख्या में कोई संदेह रहता है तो मामला केन्द्रीय सरकार को संदर्भित किया जाएगा एवं उसका निर्णय अंतिम होगा ।

[फा. सं. 4(5)/बीमा-III/98]

जी. पी. कोहली, प्रबन्ध निदेशक

278/GI/99-2

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th December, 1998

Life Insurance Corporation of India (Recruitment of Apprentice Development Officers) Regulations, 1998

S.O. 53(E).— In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Life Insurance Act, 1956 (31 of 1956), and with the previous approval of the Central Government the Life Insurance Corporation of India hereby makes the following regulations, namely:-

1. <u>Short Title and Commencement:</u>

1. These regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (Recruitment of Apprentice Development Officers) Regulations, 1998.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. <u>Definitions:</u>

1. In these Regulations, unless the context otherwise requires,

a) "Agent" means a person appointed as an agent under the Life Insurance Corporation of India (Agents) Rules, 1972,

b) "Agents Rules" means the Life Insurance Corporation of India (Agents) Rules, 1972;

c) "Apprentice Development Officer" means a person recruited under these Regulations for training and for subsequent appointment as a Development Officer;

d) "Corporation" means the Life Insurance Corporation of India;

e) "Development Officer" means a whole-time salaried employee of the Corporation belonging to Class II;

f) "Employee" means a confirmed whole-time salaried employee of the Corporation belonging to Class III;

g) "Employee Apprentice" means an employee of the Corporation who is recruited as an Apprentice Development Officer under these Regulations;

h) "Previous Post" in relation to an Employee Apprentice means the post in Class III held by him immediately preceding his recruitment as an Apprentice Development Officer;

i) "Recruiting Authority" means the Senior/Divisional Manager-in-charge of the Divisional Office recruiting an Apprentice Development Officer;

j) "(Staff) Rules" means the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960;

2. All words and expressions used herein and not defined but defined either in the Agents Rules or the (Staff) Rules, shall have the meanings respectively assigned to them in those rules or regulations.

3. Vacancies:

The number of vacancies for the purpose of recruitment shall be only against the vacancies in the sanctioned posts of the Development Officer.

4. Conditions of Eligibility:

a) An applicant for recruitment as an Apprentice Development Officer shall possess the Bachelor's Degree of a University in India established under a statute or a foreign university approved for the purpose or the Fellowship of the Insurance Institute of India, Bombay.

b) The age of an applicant for recruitment as an Apprentice Development Officer, shall not be less than 21 years or more than 30 years:

Provided that the upper age limit in respect of candidates specified in Column (2) of Table-I shall be as specified in the corresponding entry in Column (3) of the Table -

TABLE-I

S.No. (1)	Category (2)	Age limit in years (3)
(1)	Member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe	35
(2)	Member of an OBCs (other than those in creamy layer)	33
(3)	Employee who is not a member of a SC or a ST or OBCs	42
(4)	Employee who is a Member of an OBCs (other than those in the creamy layer)	45
(5)	Employee who is a member of a SC or ST	47
(6)	Agent who is not a member of a SC or ST or OBCs	37
(7)	Agent who is a member of an OBCs(Other than those in the creamy layer)	40
(8)	Agent who is a member of a SC or a ST	42
(9)	Ex-serviceman	30, increased by the number of years of service in the armed forces subject to maximum age of 45 years where he is a member of OBCs and 47 years where he is a member of SC or ST and maximum of 42 years in other than SC, ST, OBC cases.

NOTE:

The Managing Director may relax the upper age limit shown in Column No.3 in respect of candidates specified in Column No.2 of Table-I as well as under Sub-regulation 4(b) in individual cases only.

1. The age of an applicant shall be computed in terms of completed years as on the cut-off date mentioned in the notification inviting applications for recruitment as Apprentice Development Officers.

2. The number of Apprentice Development Officers recruited from among the employees and Open Market shall not exceed 25% each of the total number of Apprentice Development Officers to be recruited on any one occasion and in case of Agents it shall not exceed 50% of the total number of Apprentice Development Officers to be recruited on any one occasion. However, if sufficient number of candidates are not available from any stream to fill in all the vacancies reserved for the stream then such vacancies may be filled in from amongst the candidates available in the other stream.

c) An applicant for recruitment as an Apprentice Development Officer shall have as on the cut-ff date mentioned in the notification, experience of the nature and for the period specified in Table-II.

TABLE-II

Sr. No.	Category	Experience	
		For recruitment in Urban Area	For recruitment in Rural Area
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Employees	Not less than 3 years of service after confirmation in a Class III post.	Not less than 3 years of service after confirmation in a Class III post.
(2)	Agent	Not less than 5 years as an Agent and has brought a net First Years Premium Income of not less than Rs.1,35,000 during the immediately preceding 5 agency years and a net First Years Premium Income of not less than Rs.22,000/- on 20 lives in each of any 3 of these agency years.	Not less than 4 years as an agent and has brought a Net First Years Premium Income of not less than Rs.22,000/- on 20 lives per year in any 3 of the immediately preceding 4 agency years.

(1)	(2)	(3)	(4)
(3)	Others	Not less than 2 years of selling in a reputed organisation.	Experience in selling is desirable.

NOTE:

1) "Net First Years Premium" means the amount of Premium brought in by an agent either in cash or by cheque, in later case which has not been dishonoured subsequently, towards New Business including the First Years Renewal Premium during the relevant number of immediately preceding agency years as reduced by the amount of Premium that has lapsed out of such First Years Premium reckoned with reference to the date of the application for recruitment as an Apprentice Development Officer.

(a) "Rural Area" means an area with an ascertained population of 30,000 or less and the operational area has an ascertained population of not more than one lakh.

(b) "Urban Area" means an area which is not a rural area.

3) Where with reference to the entry in Column 3, against Sr.No.3 of Table-II any question arises whether an organisation is a reputed organisation or not, the decision thereon of the Zonal Manager shall be final.

Explanation:

For the removal of doubts, it is clarified that the spouse of an agent shall not be eligible for recruitment as an Apprentice Development Officer.

5. Mode of Selection:

1. Selection for recruitment of Apprentice Development Officers shall be made by Zonal Manager by inviting applications through notifications in at least two newspapers having circulation in the area in which the Divisional Office is situated.

2. The eligible candidates shall appear for a written test and, on being declared successful in the same, for an interview by a committee constituted for the purpose by the Zonal Manager and consisting of one officer not below the rank of Divisional Manager and two officers not below the rank of Assistant Divisional Manager. The Zonal Manager shall have absolute discretion in the matter of prescription of minimum marks for a candidate to be declared successful in the written test and to stipulate the number of candidates to be called for the interview. The candidates shall be ranked in the order of the aggregate of their marks in the written test and the interview and selection shall be made from among them by the Zonal Manager in the order of their merit having regard to the number of Apprentice Development Officers proposed to be recruited.

Where the Zonal Manager does not accept the evaluation of a candidate by the Interview Committee, he shall record the reasons for such disagreement and after, interviewing the candidate himself, pass such orders as he deems fit.

6. <u>Medical Examination:</u>

No person shall be recruited as an Apprentice Development Officers unless he has been certified by a qualified medical practioner, approved by the Corporation, to be medically fit to undergo the training and, on subsequent appointment on probation as a Development Officer to discharge his duties.

7. <u>Recruitment:</u>

The recruitment of Apprentice Development Officers shall be made by the Senior/Divisional Manager-in-charge of the Divisional Office.

8. Training:

(1) The period of apprenticeship shall commence from the date of commencement of the training.

(2) An Apprentice Development Officer shall undergo such theoretical and field sales training and for such period as may be determined by the Managing Director, so however, that the period of the training shall not exceed nine months.

(3) In exceptional cases, where an Apprentice Development Officer remains absent during the apprenticeship period for any cause beyond the control of Apprentice Development Officer such as accident or prolonged hospitalization, to justify his absence beyond 30 days the Managing Director shall examine each case and pass such an order whereby, the apprenticeship period can be extended not beyond further period of 2 months wherever he satisfies that the case deserves such a treatment provided the Apprentice Development Officers certified by the Registered Medical Practitioner of being mentally and physically fit for the job.

(4) An Apprentice Development Officer other than an Employee Apprentice shall be paid a stipend equal to the minimum of the basic pay and the dearness allowance thereon on the scale of pay applicable to Development Officers as on the date of commencement of the apprenticeship:

Provided that subject to the provisions of sub-regulation (3), an Apprentice Development Officer who absents himself without the permission of the official under whom he has been placed for the purpose of his training shall not be entitled to any stipend and shall further be

liable to discontinuance of his apprenticeship.

(5) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (3) and the proviso to sub-regulation (4), the apprenticeship of an Apprentice Development Officer may be discontinued if, on a report to that effect by the official under whom he is placed for training, the Recruiting Authority is satisfied that the Apprentice Development Officer has not applied himself adequately to the training or his conduct is unsatisfactory or that he is otherwise unsuitable for further training.

9. Appointment on Probation:

An Apprentice Development Officer who successfully completes the apprenticeship provided under these rules and, in the opinion of the Recruiting Authority, is otherwise suitable for appointment to the service of the Corporation may be appointed as a Development Officer and placed on probation. The suitability of an Apprentice Development Officer for appointment to the service of the Corporation shall be judged by such examination as may be prescribed on that behalf.

The Executive Director (Mktg) in individual cases allow the Apprentice Development Officers to appear for pre-probation test second time after recording the reasons for the same.

Explanation:

For the removal of doubts it is clarified that except as otherwise provided, "service" of a Development Officer recruited as an Apprentice Development Officer under these Rules shall be deemed to commence from the working day on which he reports for duty, after being placed on probation in terms of regulation 9, at the place and time intimated to him by the appointing authority specified in the (Staff) Rules, provided that he reports before noon; otherwise his service shall commence from the following day.

10. <u>Special Provisions Relating to Employee Apprentice:</u>

In relation to an Employee Apprentice, the tenure of apprenticeship provided under these rules shall be to the exclusion of the terms and conditions of his service in the previous post.

Provided that -

1) he shall continue to be governed by Chapter III of the (Staff) Rules;
2) the stipend payable to him during the period of apprenticeship shall be equal to the salary and allowances that would have been admissible to him had he continued to hold the previous post;
3) without prejudice to the provisions of any rule relating to the Corporation's contributions to the Provident Fund, the Employee Apprentice shall contribute to the Provident Fund an amount equal to his contribution while holding the previous post.
4) he shall continue to be covered by the Corporation's Term Assurance Scheme in the same manner and to the same extent as he would have been covered had he continued to hold the previous post.
5) the period of apprenticeship undergone by him shall be reckoned for the purpose of computation of the gratuity payable on his death or resignation during the period of apprenticeship.
6) on his appointment as a Development Officer in terms of Regulation 9, he shall be entitled to the benefit of the Sick Leave and the Privilege Leave earned by him while holding the previous post.
7) he shall hold a lien on his previous post which shall cease on his confirmation as a Development Officer.

8) he shall revert to the previous post in the event of the discontinuance of his apprenticeship under the proviso to sub-regulation (4) or in terms of sub-rule (5) of Regulation, 8.

Explanation:

Notwithstanding that the placement on apprenticeship shall not result in any break in service of an employee recruited as an Apprentice Development Officer, the period of apprenticeship shall not count as "service" under the (Staff) Rules or under any other rule except to the extent provided under these Regulations.

11. Reservation:

In making recruitment of Apprentice Development Officer, the Recruiting Authority shall provide for reservation of posts for members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the same manner and to the same extent as provision is made in appointment to the service of the Corporation.

12. Interpretation:

The Chairman may from time to time, issue such instructions as may be necessary to give effect to and carry out the provisions of these Regulations. If any doubt arises as regards the interpretation of any of the provisions of these Regulations, the matter shall be referred to the Central Government whose decision shall be final.

[F. No. 4(5)/Ins. III/98]

G. P. KOHLI, Managing Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999.